न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 87 / 2023 दायर दिनांक 18.08.2023

उनवान

1. मदनलाल पिता गोपीलाल जाति महाजन, आयु वयस्क, निवासी चाकुडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

——प्रार्थी।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 06.02.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की ग्राम चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 150 के हाल आराजी नम्बर 275 रकबा 0.11 हैक्ट0, आ0नं0 276 रकबा 0.09 हैक्ट0, आ0नं0 277 रकबा 0.06 हैक्ट0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.26 हैक्ट0, एवं खाता संख्या 175 के हाल आराजी नम्बर 634 रकबा 0.30 हैक्ट0, आ0नं0 635 रकबा 0.35 हैक्ट0, आ0नं0 637 रकबा 0.16 हैक्ट0, आ0नं0 880 / 633 रकबा 0.03 हैक्ट0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.03 हैक्ट0 दर्ज रेकार्ड है तथा खाता संख्या 176 के हाल आराजी नम्बर 261 रकबा 0.26 हैक्ट0, आ0नं0 278 रकबा 0.10 हैक्ट0, आ0नं0 279 रकबा 0.77 हैक्ट0, आ0नं0 281 रकबा 0.56 हैक्ट0, आ0नं0 282 रकबा 0.74 हैक्ट0, आ0नं0 341 रकबा 0.77 हैक्ट0, आ0नं0 593 रकबा 0.55 हैक्ट0, आ0नं0 594 रकबा 0.15 हैक्ट0, आ0नं0 602 रकबा 0.41 हैक्ट0, आ0नं0 647 रकबा 0.69 हैक्ट0, आ0नं0 648 रकबा 0.59 हैक्ट0, आ0नं0 649 रकबा 0.30 हैक्ट0, आ0नं0 658 रकबा 0.07 हेक्टयर, आराजी नम्बर 713 रकबा 0.27 हेक्टयर, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.12 हैक्ट0, आ0नं0 932 / 342 रकबा 0.06 हैक्ट0, आ0नं0 939 रकबा 5.72 हैक्ट0 कुल किता 17 कुल रकबा 6.46 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है।

यह कि उक्त आराजीयात मौरूसी होकर प्रार्थी के बाप दादाओं से चली आ रही है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु पश्चात जरिये विरासत से प्रार्थी के नाम रामेश्वरलाल पुत्र गोपीलाल महाजन के नाम राजस्व कर्मचारीयों की गलती से गलत नाम अंकन कर दिया, जबकि मुझ प्रार्थी का सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, बिजली बिल, पेन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में ''मदनलाल पुत्र गोपीलाल महाजन'' अंकित है तथा मुझ प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत चाकुडा द्वारा मदनलाल और रामेश्वरलाल पिता गोपीलाल दानों एक ही नाम के व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र व स्वयं का स्टाम्प पर लिखा स्टाम्प भी है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि मुझ प्रार्थी ने उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में चाकुडा ग्राम में केम्प में लिखित [illegible] कर उक्त गलत अंकन रामेश्वर पिता गोपीलाल के बजाय शुद्ध अंकन [illegible] का निवेदन किया जिस पर केवल मात्र खाता संख्या 176 में ही विशुद्ध [illegible] रामेश्वर पिता गोपीलाल को सही कर शुद्ध अंकन मदनलाल पुत्र गोपीलाल किया गया, जिसके बाद मुझ प्रार्थी ने [illegible] बार आवेदन किया लेकिन हर बार मुझ प्रार्थी को मना कर दिया गया व खाता संख्या 150 तथा 175 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विशुद्ध अंकन रामेश्वर पिता गोपीलाल को सही कर शुद्ध अंकन मदनलाल पुत्र गोपीलाल नहीं किया गया जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है ।

यह कि उक्त विशुद्ध अंकन रामेश्वर पिता गोपीलाल को भूल मानते हुए विशुद्ध अंकन रामेश्वर पिता गोपीलाल को सही कर शुद्ध अंकन मदनलाल पुत्र गोपीलाल की दुरूस्ती कराई जाकर प्रार्थी के असल नाम मदनलाल पुत्र गोपीलाल महाजन सम्मान सुचक नाम खाता संख्या 150 व 175 में दर्ज किया जाना आवश्यक है, राजस्व रेकार्ड एवं उक्त सरकारी दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से प्रार्थी को लोन लेने एवं भूमि सुधार हेतु तथा कई प्रकार के सरकारी लाभ लेने के लिए भी दुविधा का सामना करना पडता है जिससे नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होकर आवश्यक है ।

यह कि प्रार्थना पत्र के साथ सरकारी दस्तावेज की फोटो प्रति, प्रशासन गांवो के संग अभियान में आदेश की सत्यापित फोटो प्रति, खाता संख्या 150, 175, 176 की फोटो प्रति आदि पेश हैं ।

यह कि प्रार्थी द्वारा सरकारी लाभ लेते समय राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजों में नाम की भिन्नता होने से लाभ से वंचित हो गया जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात के हाल रेवेन्यू रेकार्ड में नाम दुरूस्त कर सही नाम मदनलाल पुत्र गोपीलाल महाजन रेवेन्यू रेकार्ड में नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें ।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने उक्त प्रकरण में जवाब इकबालिया व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मदनलाल व रामेश्वरलाल एक ही व्यक्ति है। ग्राम चाकुडा के राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 150 व 175 में रामेश्वरलाल पिता गोपीलाल जाति महाजन के बजाय मदनलाल पिता गोपीलाल जाति महाजन करने की अनुशंषा की है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत जवाब व जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मदनलाल व रामेश्वरलाल एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत चाकुडा द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र नोटरीशुदा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चाकुडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की हल्के बैरूनी के जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 150 के आराजी नम्बर 275, 276, 277 कुल किता 3 कुल रकबा 0.26 हैक्ट0, व खाता संख्या 175 के आराजी नम्बर 634, 635, 637, 880/633 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 हैक्ट0 में दर्ज रामेश्वरलाल पुत्र गोपीलाल जाति महाजन के बजाय मदनलाल पिता गोपीलाल जाति महाजन दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें। तहसीलदार कपासन तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन